राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक. राजपत्रित/डीपीसी/2019/540 दिनांक 25/9/19

–: परिपत्र :–

निदेशालय के परिपत्र क्रमाक. 336 दिनाक 05.07.2019 एवं क्रमाक. 421 दिनांक 05.08.2019 के द्वारा डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु पात्र चिकित्सको के डेफर होने के कारण **नियुक्ति तिथि से 06/12/18 वर्ष की नियमित राज्य सेवा का प्रमाण–पत्र**, सन्तान संबंधित सूचना एवं अचल सम्पत्ति प्रस्तुत करने की सूचना सात दिवस मे ई–मेल आई डी rajdpcgaz@gmail.com पर भिजवाने के लिये निर्देशित किया गया था, किन्तु कुछ चिकित्सको की सूचना आज दिनांक तक प्राप्त होना अपेक्षित है।

इस संबंध मे प्रशासनिक विभाग के पत्र क्रमाक. प.2 (10) चिस्वा/2/2018 दिनाक 20.08.2019 के द्वारा पुनः निर्देशित किया गया है, कि डेफर चिकित्सक एव दिनाक 01.04.2019 को डी.ए.सी स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु पात्र चिकित्सक उक्त सूचना तुरन्त ई–मेल आई डी पर भिजवाने का श्रम करावें अन्यथा पदोन्नति से वंचित रहने की समस्त जिम्मेदारी उनकी स्वंय की होगी।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः राजपत्रित/डीपीसी/2019/540 दिनांक 25/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1 निजी सचिव, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क मंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एव प क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमाक प. 2 (10) चिस्वा/2/2018 दिनांक 20.08.2019 के क्रम मे ।
4 निदेशक (आर.सी.एच.)/एडस्/ई.एस.आई./एम एस.यू., चिकि. एव स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान।
5 समस्त अधीक्षक, सलग्न चिकित्सालय समूह।
6. समस्त अति. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
7 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोनं।
8 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ।
9 समस्त मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी।
10 प्रधानाचार्य, रा प क प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर/जयपुर।
11 प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग/ए टी प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
13. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर